

28/4/22

उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अयकारा पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 5.5.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकाारी माण्डल

5/5/22

उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अयकारा पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 28.7.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकाारी माण्डल

28/7/22

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य सफल/वदिकार रखने
से पत्रावली दिनांक 13/10/22 को पेश हो।

13/10/22

उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर हैं। अयकारा पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 23.12.22 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकाारी माण्डल

22.12.22

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य सफल/वदिकार रखने
से पत्रावली दिनांक 20.4.23 को पेश हो।

29.5.23

पत्रावली केम्प विरडिया को पेश हुई।
आगामी दिनांक 28.7.23 को पेश हो।

28.7.23

पत्रावली पेश हुई, वकील वादिया अनुपास्थित)
वादिया ऐव वादिया के दायि वक्ता को कितमी वार
कैफ-कैफ कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपास्थित
नही। वकील वादिया के अनुपास्थित रखने से वादिया
का बाद पत्र अधम हाजरी। अधम पैन्ची मे खारीज
किया जाता हो पत्रावली फैसल शुमार डेकर
से कम हो।

उपखण्ड/अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा